न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 50/2018

मोतीलाल बनाम केशर देव आदि

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 बाबत

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुमित गौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–आदेश–

दिनांकः– 05.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा मुकदमा संख्या 46/2013 में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में अपीलांट की और से प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10, रेस्पोडेंट की प्राथमिक आपत्ति पर बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 10 का देहान्त हो चुका है। इनके वारिसान पूर्व से रेस्पोडेंट संख्या 11,13,15 के रूप में पक्षकार है। अत रेस्पोडेंट संख्या 10 का नाम हजफ किया जावें। अपीलांट ने कथन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकि देवी का 11 माह पूर्व निधन हो चुका है। जानकारी से अन्दर मियाद कायम मुकाम आवेदन धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। न्यायहित में आवेदन स्वीकार कर कायम मुकाम स्वीकार किये जावें। अपीलांट ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 6 रामलाल का अपील प्रस्तुत होने से पूर्व दिनांक 02.05.2016 को देहान्त हो चुका है। पूर्व में रामलाल की मृत्यु की जानकारी नही होने से अपील में रामलाल को पक्षकार संयोजित कर लिया गया। अपीलांट को गत पेशी पर इसकी जानकारी होने पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। न्यायहित में रामलाल के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति यह है कि उक्त अपील में रेस्पोडेंट संख्या 6 रामलाल का स्वर्गवास अपील प्रस्तुत करने से पूर्व हो गया था जिसके दाह संस्कार व होने वाले समस्त कार्यक्रमों में अपीलांट मय परिवार उपस्थित था क्योंकि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 रामलाल आपस में ताउ–चाचा के लड़के है जिस सम्बंध में आपस में भाई हुए। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने से पूर्व रेस्पोडेंट 6 रामलाल के विधिक वारिसान को उक्त अपील में पक्षकार बनाया जाना चाहिये था जो आवश्यक पक्षकार बनाये नहीं जाने के कारण आवश्यक पक्षकारान के अभाव में अपील चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकी देवी का देहान्त होना स्वीकार है किन्तु मद में चूकी देवी के वारिसान के नाम जो बताये गये है वे गलत बताये है। चूकी देवी के वारिसान क्रमशः हरीश, विमल, रमेश पुत्रगण व इन्दू पुत्री है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकी देवी एक ही परिवार के सदस्य है तथा आपस में ताउ–चाचा के लड़के व लड़की है जिस सम्बंध से आपस में भाई–बहन हुए तथा परिवार में कब–कब और क्या–क्या कार्यक्रम होते है, अपीलांट को पूरी जानकारी रहती है और अपीलांट उपस्थित भी रहता है और इसी क्रम में रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकी देवी का स्वर्गवास कब हुआ इसकी पूरी जानकारी अपीलांट को थी और रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकी देवी के दाह संस्कार व बैठने के सारे कियाकलापों में अपीलांट मय परिवार उपस्थित रहा था। यह कि आवेदन की मद संख्या 2 में यह कहना कि फौतगी की रिपोर्ट आने पर अपीलांट के वकील ने अपीलांट से सम्पर्क कर स्वर्गवास की जानकारी के बारे में अपीलांट को बताया, उक्त बाते सारी मनगढ़न्त व अपने आवेदन को रंगत देने की गरज से तहरीर की गई है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकी देवी के स्वर्गवास की जानकारी अपीलांट को पूर्व में ही थी। अपीलांट स्वयं अपने आवेदन में रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकी देवी के स्वर्गवास की बात 11 माह पूर्व एडमिट कर रहा है जिसके कायम मुकाम की कार्यवाही अपीलांट को उसी समय करनी चाहिये थी। कानूनन आदेश 22 नियम 4 सीपीसी में रेस्पोडेंट संख्या 12 की मृत्यु से 90 दिवस में कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही की जाना आवश्यक थी जो अपीलांट ने देरीना आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके कारण अपील स्वतः अबेट हो चुकी है। प्रस्तुत अपील मृत व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट द्वारा अबैटमेन्ट निरस्त करने हेतु भी कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है। अत अपील अबैटमेन्ट के आधार पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति यह है कि उक्त अपील में रेस्पोडेंट संख्या 6 रामलाल का स्वर्गवास अपील प्रस्तुत करने से पूर्व हो गया था जिसके दाह संस्कार व होने वाले समस्त कार्यक्रमों में अपीलांट मय परिवार उपस्थित था क्योंकि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 6 रामलाल आपस में ताउ–चाचा के लड़के है जिस सम्बंध में आपस में भाई हुए। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने से पूर्व रेस्पोडेंट 6 रामलाल के विधिक वारिसान को उक्त अपील में पक्षकार बनाया जाना चाहिये था जो आवश्यक पक्षकार बनाये नहीं जाने के कारण आवश्यक पक्षकारान के अभाव में अपील चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकी देवी का देहान्त होना स्वीकार है किन्तु मद में चूकी देवी के वारिसान के नाम जो बताये गये है वे गलत बताये है। चूकी देवी के वारिसान कमशः हरीश, विमल, रमेश पुत्रगण व इन्दू पुत्री है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकी देवी एक ही परिवार के सदस्य है तथा आपस में ताउ–चाचा के लड़के व लड़की है जिस सम्बंध से आपस में भाई–बहन हुए तथा परिवार में कब–कब और क्या–क्या कार्यक्रम होते है, अपीलांट को पूरी जानकारी रहती है और अपीलांट उपस्थित भी रहता है और इसी क्रम में रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकी देवी का स्वर्गवास कब हुआ इसकी पूरी जानकारी अपीलांट को थी और रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकी देवी के दाह संस्कार व बैठने के सारे कियाकलापों में अपीलांट मय परिवार उपस्थित रहा था। वकील ने अपीलांट से सम्पर्क कर स्वर्गवास की जानकारी के बारे में अपीलांट को बताया, उक्त बाते सारी मनगढ़न्त व अपने आवेदन को रंगत देने की गरज से तहरीर की गई है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकी देवी के स्वर्गवास की जानकारी अपीलांट को पूर्व में ही थी। अपीलांट स्वयं अपने आवेदन में रेस्पोडेंट संख्या 12 चूकी देवी के स्वर्गवास की बात 11 माह पूर्व एडमिट कर रहा है जिसके कायम मुकाम की कार्यवाही अपीलांट को उसी समय करनी चाहिये थी।

उपरोक्त तथ्यो का अपीलांट ने कोई खण्डन प्रस्तुत नही किया है। यहां यह भी विचारणीय है कि कानूनन आदेश 22 नियम 4 सीपीसी में रेस्पोडेंट संख्या 12 की मृत्यु से 90 दिवस में कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

की जाना आवश्यक थी जो अपीलांट ने विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके कारण अपील स्वतः अबेट हो चुकी है। प्रस्तुत अपील मृत व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अबैटमेन्ट निरस्त करने हेतु भी कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेंट की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाती है एवं अपील अपीलांट अबैट होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर